है कि 1992–93 के दौरान, 253.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तिलहनों के तहत था। नवीनतम उपलब्ध अनुमान के अनुसार, 1989–90 में तिलहन फसलों के तहत कुल 228.0 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 44.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित था।

(ख) अनुमान है कि 1992–93 के दौरान विभिन्न तिलहनों का 206.3 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 1993-94 के लिए 170.0 करोड़ रुपए मूल्य के अरण्ड तेल तथा 15.0 करोड़ रुपए मूल्य के गौण तेल (वसा) के लिए ही निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अन्य तेलों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

**दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा**

**660. श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना पिछले अनेक वर्षों से घाटा उठाती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ठीक इसके विपरीत मदर डेरी को मुनाफा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन बेचे जा रहे दूध की तुलना में मदर डेरी की बिक्री अधिक है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न सरकारों द्वारा गठित समिति ने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धन और आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(च) यदि हां, तो इन सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) मार्च, 1993 तक दिल्ली दुग्ध योजना को कुल कितना घाटा हुआ है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां। इस घाटे का मुख्य कारण, दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम निर्धारित किया जाना है।

(ख) मदर डेयरी नाममात्र का मुनाफा कमा रही है वर्ष 1992–93 के दौरान मदर डेयरी ने अपने 158 करोड़ रुपए के कारोबार से 16.27 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया।

(ग) तथा (घ) 1992–93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के दूध की औसत बिक्री इस प्रकार है :–

दिल्ली दुग्ध योजना
4.26 लाख लीटर प्रतिदिन

मदर डेयरी
5.70 लाख लीटर प्रतिदिन

(ङ) और (च) दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए गठित सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि दिल्ली दुग्ध योजना को सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सहकारी समिति के रूप में संगठित किया जाए। तथापि दिल्ली में दुध के बड़े पैमाने पर उत्पादन के अभाव में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिया जाए जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के परामर्श से इसके भावी स्वरूप को तय करने का निर्णय करेगा।

(छ) नवम्बर, 1959 में इसके प्रारम्भिक गठन से लेकर अब तक दिल्ली दुग्ध योजना का अनन्तिम आधार पर आकलित घाटा 226.72 करोड़ रुपए का है।